न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री ब्रजेश कुमार चान्दोलिया, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 215/2018

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. हरकरणराम पुत्र जवानाराम जाति जाट निवासी सांजू तह डेगाना।		नायब तहसीलदार ,सांजू।
2. बंकटलाल पुत्र लादूराम जाट निवासी सांजू तह डेगाना।		

उपस्थिति :–

1. श्री नरेन्द्र सारस्वत अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

निर्णय दिनांक 24.09.2018

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, सांजू द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 170/2018 सरकार बनाम हरकरणराम एवम अन्य में निर्णय दिनांक 07.09.2018 के तहत मौजा सांजू के खसरा नं. 467 व 470 मे से रकबा 0.16 हैक्टेयर गै.मु. गौचर व आबादी भूमि से बेदखली ,शास्ति तथा सिविल कारावास से असंतुष्ट होकर दिनांक 18.09.2018 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगावाया गया। रेस्पोडेन्ट को समन जरिये ई मेल भिजवाया गया, मगर आज गैर हाजिर रहे है।

{2}–वकील अपीलान्ट्स की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि –

{2}(I)–कि अपीलाधीन निर्णय अवैध, अनाधिकृत, विधी विरूद्ध ,पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरित तथा बिना क्षेत्राधिकार के पारित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2}(II)–कि दिनांक 07.09.2018 की आर.आई. तथा पटवारी की नाप रिपोर्ट से यह साबित हो गया था कि खसरा संख्या 467 गै.मु. गोचर भूमि पर अतिक्रमण नही है अपितू खसरा संख्या 470 आबादी भूमि मे कब्जा है । इस प्रकार की स्पष्ट नाप रिपोर्ट होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने मे कानूनी गलती की है।

{2}(III)–कि खसरा संख्या 470 रकबा 02.02 हैक्टयर की भूमि सन् 1989 मे आबादी विस्तार के लिए ग्राम पंचायत सांजू को आवंटित कर दी गई थी और तब से ही यानि पिछले तीस सालों से यह भूमि आबादी भूमि रहती चली आ रही है और ग्राम पंचायत के अधीन है। इस संबध मे अपीलान्ट ने आबादी मे रूपान्तरित व आंवटित किए जाने के दस्तावेज भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए थे। आबादी भूमि के संबध मे भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का अधिकार उप तहसीलदार सांजू को नही था इसलिए अपीलाधीन निर्णय बिना क्षेत्राधिकार का होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(IV)–कि अपीलान्ट्स ने खसरा संख्या 470 की भूमि मे किसी प्रकार का अतिक्रमण व निर्माण कार्य नही किया और न ही किसी अन्य तरीके से कब्जा या अतिक्रमण नही किया। दिनांक 29.08.2018 को सांजू के चार ग्रामवासियों के द्वारा उप तहसीलदार सांजू को गोचर भूमि पर निर्माण सामग्री डालकर अतिक्रमण करने की शिकायत पेश की गई, उसमे भी अपीलान्ट्स के द्वारा अतिक्रमण करने का कोई कथन नही था तत्पश्चात् 29.08.2018 को उप तहसीलदार सांजू के द्वारा मौके पर रिपोर्ट बनाई गई उसमे तथा दिनांक 01.09.2018 की पटवारी आर.आई. तथा उप तहसीलदार की रिपोर्ट मे भी अपीलान्ट्स द्वारा कब्जा या निर्माण करने का कथन नही किया गया और न ही किसी व्यक्ति का नाम अतिक्रमी के रूप मे बताया गया। इसके बावजूद अपीलान्ट्स के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही करने मे अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार ने कानूनी गलती की है।

{2}(V)–कि वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 470 किस्म आबादी मे वर्षो पहले का तेजाजी महाराज का

अपर कलक्टर, नागौर

चबूतरा बना हुआ रहता चला आ रहा है। इसको अतिक्रमण मानने मे अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी गलती की है। तेजाजी महाराज का चबूतरा सार्वजनिक चबूतरा है और किसी व्यक्ति विशेष का चबूतरा नहीं होसकता । इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ नहीं की जा सकती थी इसलिए भी अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। जब तक खसरा नम्बर 470 जै.मु. आबादी की किस्म तथा आबादी हेतू आंवटन आदेश निरस्त नही कर दिया जाये तब तक यह भूमि आबादी रहेगी।

{2}(VI)–कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानने मे कानूनी गलती की है। अपीलान्ट्स के विरूद्ध पूर्व मे भू राजस्व की धारा 91 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज होने और उस मुकदमे मे बेदखल करने के आदेश होने और बेदखली आदेश की पालना मे अपीलान्ट्स को पूर्व मे भौतिक रूप से बेदखल करने की कोई साक्ष्य पत्रावली मे नही होते हुए भी पश्चातवर्ती अतिक्रमण के लिए अपीलान्ट्स को सिविल कारावास की सजा से दण्डित नहीं किया जा सकता लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इन सभी कानूनी प्रावधानों की अवहेलना करके अपीलाधीन निर्णय पारित करने मे कानूनी गलती की है, अपीलाधीन निर्णय अन्यायोचित, अनियमित तथा दुराग्रहों से ग्रसित होने के कारण तथा अपीलान्ट्स का कोई कब्जा अतिक्रमण वादग्रस्त भूमि पर नही है। राजनैतिक विद्वेषता व दबाव से अपीलान्ट्स के विरूद्ध गैर कानूनी कार्यवाही आरम्भ करके अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। इसलिए भी अपीलाधीन निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है। अपीलान्ट्स की भौतिक रूप से बेदखली नही की गई थी तथा न ही कभी पूर्व मे बेदखली का आदेश पारित किया गया था जिससे उनका पश्चातवर्ती अतिक्रमण कतई नही माना जा सकता है। तथा अपने कथन के समर्थन में आर. आर.डी.1993 पेज 583 व आर. आर.डी.2001 पेज 401 नजीरे प्रस्तुत की गई।

{3}– वकील अपीलान्ट्स की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम सांजू के खसरा नम्बर 467 व 470 गै.मु. आबादी व गौचर मे से 0.16 हैक्टेयर भूमि पर अपीलान्ट्स का पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए बेदखली , जुर्माना व सिविल कारावास से सम्बन्धित आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट्स द्वारा आराजी भूमि पर इससे पूर्व मे अतिक्रमण किया गया हो और उस पर बेदखली के आदेश पारित कर भौतिक रूप से बेदखली की गई हो ऐसा कोई आदेश/फर्द भौतिक बेदखली अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख पर नही है। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट्स की पूर्व मे भौतिक रूप से बेदखली नही हुई है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 29.08.2018 को उक्त आराजी पर अतिक्रमण मानते हुए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही संस्थापित की गई तथा दिनांक 07.09.2018 को आर.आई. द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अनुसार अतिक्रमण की गई भूमि गै.मु. आबादी क्षेत्र की है। इस प्रकार अतिक्रमण रिपोर्ट एवमं जांच रिपोर्ट दिनांक 07.9.2018 के तथ्यों मे भिन्नता होते हुए भी आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो विधी सम्मत प्रतीत नही होता है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय के आदेश विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से इसमे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{4} – उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स की अपील ठोस आधारों पर होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 07.09.2018 अपास्त किया जाता है।

{5} – निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/9/18

(ब्रजेश कुमार चान्दोलिया)
अपर कलक्टर,
अपर कलक्टर, नागौर